उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-28/2015-एस0ई0-937/दस-2015-ई0-2867(टी)
लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती कौशल्या रामचन्दानी, समीक्षा अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31 मार्च, 2015 को सेवानिवृत्त हो रही हैं, को उनके उपार्जित अवकाश खाते में जमा 300 (तीन सौ दिन) के उपार्जित अवकाश के लिए नियमानुसार वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88, दिनांक 01-07-1999 के अन्तर्गत ग्राहय अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- वर्ष 1986 में राज्य कर्मचारियों तथा वर्ष 1989 में सचिवालय कर्मचारियों द्वारा दी गई हड़ताल अवधि के संबंध में शासन के निर्णयानुसार उक्त उपार्जित अवकाश के लिए अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि को पुनरीक्षित किया जा सकता है और यदि उनमें से कुछ धनराशि अधिक भुगतान हुआ पाया गया तो अधिक भुगतान की गई धनराशि की नकद धनराशि शासन को वापस करनी होगी, जिसके लिए श्रीमती कौशल्या रामचन्दानी ने अपनी लिखित सहमति (घोषणा-पत्र) शासन को प्रस्तुत कर दिया है।

बी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-28/2015-एस0ई0-4-937(1)/दस-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त सेवायें अनुभाग-4(लेखा) को दो अतिरिक्त प्रतियों में।
(4) संबंधित समीक्षा अधिकारी।
(5) संबंधित समीक्षा अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in